पत्र संख्या-नई इकाई- 05-निवेश मित्र (2014-15)/ 16 / 1415011 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(नई इकाई अनुभाग)
लखनऊ : दिनांक : 28 अप्रैल, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वणिज्य कर , उत्तर प्रदेश।

विषय:- एकल मेज व्यवस्था (निवेश मित्र) को सुदृढ किये जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया संयुक्त अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ के पत्र सं0 उ0ब0/4005/1188/2014/नि0मि0 दिनांक 09-04-2014 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0, शासन की अध्यक्षता में दिनांक 24-03-2014 को एकल मेज व्यवस्था (निवेश मित्र) के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित कतिपय बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त कार्यवृत्त में वाणिज्य कर विभाग से मुख्यत: बिन्दु सं0-1, 6, 7 व 9 सम्बन्धित है जिन पर विभाग स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित है।

बिन्दु सं0-1 :- इसके अन्तर्गत शासन के निर्देशानुसार दिनांक 01 मई, 2014 से सभी विभागों में निवेश मित्र (एकल मेज) से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र ऑन-लाइन ही प्राप्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में पूर्व में शासन के निर्देशानुसार मुख्यालय के पत्र सं0-नई इकाई-10-निवेश मित्र (12-13)/299/1213067 / वाणिज्य कर / दिनांक 20-11-2012 द्वारा निवेश मित्र योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में औद्योगिक इकाइयों के पंजीयन प्रार्थना पत्र Online ही प्राप्त किये जाने, Manualy न प्राप्त किये जाने तथा पत्र सं0-नई इकाई-10-निवेश मित्र (2013-14) / 304 वाणिज्य कर दिनांक 14-02-2014 द्वारा प्रार्थना पत्रों को केवल Online ही प्राप्त किये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

बिन्दु सं0- 2:- इस बिन्दु के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग की कोई अन्यथा टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

बिन्दु सं0- 3:- इस बिन्दु के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग की कोई अन्यथा टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

बिन्दु सं0- 4:- इस बिन्दु के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग की कोई अन्यथा टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

बिन्दु सं0- 5:- इस बिन्दु के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग की कोई अन्यथा टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

बिन्दु सं0-6 :- इसके अन्तर्गत ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय द्वारा वाणिज्य कर की वेबसाइट से सम्बन्धित एक यूजर आई0डी0 व पासवर्ड उद्योग बन्धु, लखनऊ को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

बिन्दु संख्या-7:- इसके अन्तर्गत ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय द्वारा वाणिज्य कर की वेबसाइट का लिंक निवेश मित्र की वेबसाइट से कर दिया गया है जिसकी सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है।

बिन्दु सं0- 8:- इस बिन्दु के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग की कोई अन्यथा टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

बिन्दु संख्या-9 :- इस सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्राप्त प्रकरणों में SMS पर सूचना सम्बन्धित उद्यमियों को पंजीकृत मोबाइल नं0 पर उपलब्ध कराई जा रही है।

कृपया एकल मेज व्यवस्था (निवेश मित्र) को सुदृढ़ किये जाने हेतु अपने अधिक्षेत्र के समस्त जनपदों में उक्त निर्देशों का सम्यक पालन कराना सुनिश्चित करें।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर के आदेश के क्रम में प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त

प्रतिलिपि :-

1- संयुक्त अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, 12-सी माल एवेन्यू, लखनऊ को उक्त सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को संलग्न कार्यवृत्त के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यवृत्त के बिन्दु सं0 6 के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करके वांछित सूचना उद्योग बन्धु, लखनऊ को यथाशीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

एडीशनल कमिश्नर (विधि)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।